



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

ई-मेल:- nssrmpssuniversity@gmail.com फोन न.0 :- 7302632933

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/117/N.S.S./2024
सेवा में,

दिनांक:-22 मार्च, 2024

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबंधक,

समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,

संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,

अलीगढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के छात्र संख्या आवंटन हेतु प्रस्ताव आमंत्रण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक नवीन इकाई के प्रस्ताव शासनादेश सं0 158/सत्तर-रा0से0यो0को0 2024 दिनांक 19 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के नवीन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई छात्र संख्या आवंटन प्रस्ताव उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

जिन महाविद्यालय में अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई क्रियान्वित नहीं है वह अपने महाविद्यालय के लिए नवीन इकाई हेतु पत्र कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को 20 मार्च 2024 तक अवश्य प्रेषित करें, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय अपनी स्थायी सम्बद्धता का पत्र भी अवश्य संलग्न करें, जिससे कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति से संस्तुति करारकर छात्र संख्या आवंटन प्रस्ताव शासन को अतिशीघ्र किया जा सके।

संलग्नक: यथोपरी

भवदीया,

Nambhu
23/3/24

प्रो0(नीता वाष्णीय)

कार्यक्रम समन्वयक

आर0एम0पी0एस0एस0यू0

अलीगढ़

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. विशेष कार्य अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन (राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ) लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

Nambhu
23/3/24

प्रो0(नीता वाष्णीय)

कार्यक्रम समन्वयक

आर0एम0पी0एस0एस0यू0

अलीगढ़

प्रेषक,

डॉ० मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- कुलसचिव,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- कार्यक्रम समन्वयक,
एन०एस०एस० से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, प्राविधिक पालिटेक्निक परिसर, कानपुर।
- 4- उप शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, एन०एस०एस० से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्र संख्या आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नवीन इकाई के प्रस्ताव शासनादेश संख्या-189/सत्तर-रा०से०यो० को०-2015 दिनांक 26 अगस्त, 2015 एवं संख्या-196/सत्तर-रा०से०यो०को०-2022 दिनांक 27 जून, 2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्र संख्या आवंटन हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा पारदर्शिता की दृष्टि से प्रस्तावों को गठित समिति के परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को हार्ड कापी एवं शासन के ई-मेल आई०डी०- upsno.luck@gmail.com पर वर्ड फाइल में उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

2- वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्र संख्या आवंटन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर पर गठित समितियों के परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित की जानी है। विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर पर गठित समिति निम्नवत है-

(1) विश्वविद्यालय स्तर पर-

1.	कार्यक्रम समन्वयक	संयोजक
2.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3.	कुलपति द्वारा नामित वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य


(2) माध्यमिक मण्डल स्तर पर-

1.	उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	संयोजक
2.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3.	संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा नामित राजकीय इण्टर कालेज के प्राचार्य	सदस्य

3- विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर पर गठित समितियों के परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित करने से पूर्व समिति द्वारा विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर पर निष्पादन आधारित (Performance Base) वित्तीय दायित्वों एवं गतिविधियों को मूल्यांकन किया जाना है।

20/3


4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्र संख्या आवंटन प्रस्ताव समिति के संस्तुति सहित शासन को प्रारूप एवं Unit Wise Performance Based Report 2023-24 (संलग्न) पर हार्ड कापी एवं वर्ड फाइल में दिनांक 01.04.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर पर निष्पादन आधारित (Performance Base) वित्तीय दायित्वों एवं गतिविधियों को मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्र संख्या समयान्तर्गत आवंटित की जा सके।
संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० मंजू सिंह) 19/03/2024
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।
§

संख्या- 156(1)/सत्तर-रा०से०यो०को०-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 3- निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा०से०यो० निदेशालय, नई दिल्ली।
- 4- अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 5- क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा०से०यो०, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं०-1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच०, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डॉ० मंजू सिंह) 19/03/2024
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।
§